

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक **1271** /F-2015-04-02117/ब-4/चार,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक **26/11/2016**

1. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव
वित्त विभाग
2. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

विषय :- वित्त विभाग में आंतरिक वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2027/F-2015-04-02117
/ब-4/चार, दिनांक 21.03.2014

---000---

संदर्भित ज्ञाप क्रमांक 2027/वित्त/सम/ब-4/चार, दिनांक 21.3.2014 के संलग्नक में उल्लेखित सरल क्रमांक-9 के अंतर्गत पुनर्विनियोजन हेतु विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव को राशि रु. 2 करोड़ तक वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित है।

2- पैरा-1 में उल्लेखित सरल क्रमांक -9 के अंतर्गत राशि ₹2 करोड़ तक के केवल राजस्व मद से पुनर्विनियोजन वित्तीय शक्ति जो संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त को प्रत्यायोजित है, को 31 मार्च, 2017 तक अधिक्रमित किया जाता है।

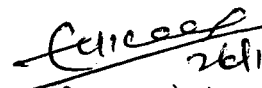
3- राजस्व मद में राशि ₹2 करोड़ तक के पुनर्विनियोजन की वित्तीय शक्ति 31 मार्च, 2017 तक संचालक (बजट) को रहेगा तथा इससे अधिक के पुनर्विनियोजन के मामले में संबंधित बजट शाखा द्वारा संचालक (बजट) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।


(सतीश पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

पृ. क्रमांक **1272**/F-2015-04-02117/ब-4/चार, नया रायपुर, दिनांक **26/11/2016**
प्रतिलिपि :-

सचिव/विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर


(सतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव